Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 12-05-2006

Participants : Bhargav Shri Girdhari Lal

Title: Regarding likely adverse effects on courier business due to the proposed amendments to the Indian Postal Act, 1898.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, भारत सरकार संसद के वर्तमान सत्र में भारतीय डाक अधिनियम 1898 में कोरियर सेवाओं को नियमित करने के लिये एक बिल प्रस्तुत करने जा रही है। प्रस्तावित बिल देशभर की न सिर्फ कोरियर कम्पनियों के हितों को प्रभावित करेगा वरन् लगभग 20 लाख से अधिक परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में हमारा विचार है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा प्रस्ताि वत विधेयक जिससे कोरियर के द्वारा 300 ग्राम वजन तक के डाक की बुकिंग की अनुमति दी जायेगी जबकि 90 प्रतिशत समस्त डाकूमेंट्स 1 ग्राम से 200 ग्राम तक के ही होते हैं। यदि नये निधेयक के अनुसार 300 ग्राम के वजन के डाकूमेंट्स कोरियर द्वारा नहीं भेजे जा सकेंगे तो कोरियर व्य वसाय पूर्णतया बंद हो जायेगा व जिसके चलते देशभर के 20 लाख परिवार बेरोजगार हो जायेंगे। द्रटक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की दारा 9(3) में भी यह प्रावधान है कि समन की तामील स्पीड पोस्ट या उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा द्वारा भी की जा सकती है। इस प्र ाकार उच्च न्यायालय ने भी कोरियर सेवाओं को एक प्रकार से मान्यता प्रदान की है और इस क्षेत्र में स्पीड पोस्ट को भी लिया जाये। यूनिवर्सल सर्विस ओबलिगेशन के तहत वार्कि टर्न ओवर का 10 प्रतिशत राजस्व डाक विभाग को देना है जबकि कोरियर उद्योग सर्विस टैक्स, प्रोफैशनल टैक्स, सोप एवं इस्टेबलिशमेंट टैक्स और कई अन्य टैक्सों के द्वारा सरकार को प्रतिर्वा हजार करोड़ रुपये से ऊपर का राजस्व देती है जो कि देश के विकास मे खर्च होता है उसके बाद यह 10 प्रतिशत क्यो? अगर कोरियर उद्योग बंद हो गया तो सरकार को प्रति र्वा हजार करोड़ रुपये का नुकसान है।

इसमें देखने का सब से बड़ा पहलू यह है कि जिन कोरियर कम्पनी में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश है उन कम्पनियों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा तो क्या यह भारतीय कोरियर कम्पनियों को बंद करने की तथा विदेशी कोरियर कम्पनियों को बढ़ावा देने की साजिश तो नहीं है? सरकार की नई आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संचार आदि अनेक क्षेत्रों में निजी कंपनियों की व्यापक भागीदारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में कुरियर सेवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों? मेरा अनुरोध है कि भारत में जो लोग काम करते हैं, देशहित में काम करते हैं। आज 300 ग्राम तक के जो कुरियर पोस्टकार्ड, लिफाफे या पैकेट भेजे जाते हैं, उन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है और विदेशी कंपनियों को छूट दी जा रही है। निश्चित रूप से भारत के कई लोग इससे बेरोज़गार हो जाएंगे। एक एक कुरियर कंपनी ने 50-60 आदमियों को नौकरी दे रखी है जो चिट्ठी ले जाते हैं, पैकेट ले जाते हैं और दस्तखत कराकर लाते हैं। मेरा अनुरोध है कि यूपीए सरकार का जो उलट पुलट असोसियेशन बना हुआ है यदि वे इस प्रकार का काम करेंगे तो इससे और भी बेरोज़गारी बढ़ेगी। सरकार इस कदम को न उठाए और कुरियर सेवा जिस प्रकार से चल रही है और 300 ग्राम तक की छूट लोगों को दी जा रही है, उसको बहाल रखें, यह मेरा सरकार से निवेदन है।